महामहिम राज्यपाल

श्री रघुकुल तिलक का अभिभाषण

8 जुलाई, 1980

माननीय सदस्यगण,

राजस्थान की इस नवगठित विधान सभा के वर्तमान सत्र को सम्बोधित करते हुये मैं विधान सभा के सदस्यों के रूप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

2. जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के तथा मई में हुए विधान सभा के मध्यावधि चुनाव राजस्थान राज्य में बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुये, यह राज्य की जनता की लोकतंत्र में दृढ़ आस्था और परिपक्वता का द्योतक है। इन चुनाव परिणामों ने पुरजोर रूप से राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर यह प्रतिपादित किया है कि देश का मतदाता सत्ता हथियाने के लिये किये गये किसी भी सिद्धान्तहीन गठबन्धन को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मतदाता ने फासिस्ट, साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती जातीय संगठनों एवं तत्वों को खुले रूप से ठुकरा एक बार फिर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद एवं गुटनिरपेक्षता की प्रगतिशील नीतियों एवं कार्यक्रमों में अपनी अटूट आस्था निष्ठा प्रकट की है। गत तीन वर्षों के दिशाहीन शासन को राज्य की जनता ने जिस लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से विदा किया है इसके लिये यह सरकार मतदाताओं के अपूर्व साहस विवेक की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकती। राष्ट्र के आर्थिक उत्थान के लिए जिन सर्वमान्य सिद्धान्तों और नीतियों को पिछले दिनों तिलांजलि दे दी गई थी, उनकी समाजवाद धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पुनः स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प से नये प्रयत्न किये जायेंगे। इस परिवर्तन के साथ ही राज्य के विकास को निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी।

3. राज्य की जनता ने मई, 1980 के चुनावों के द्वारा जिन आशाओं और विश्वास के साथ वर्तमान सरकार को कार्यभार सौंपा है उन्हें पूरा करने के लिए यह सरकार दृढ़ एवं प्रगतिशील कदम तत्परता से उठायेगी। सरकार कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लायेगी। राज्य सरकार का यह अथक प्रयास रहेगा कि अपराधों में कमी हो और समस्त वर्गों में, विशेष रूप से कमजोर तबके के लोगों में, कानून एवं व्यवस्था के प्रति विश्वास जागृत हो। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा जिससे जन साधारण के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके और अमीर एवं गरीब के बीच विद्यमान असमानता को कम किया जा सके। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये कारगर कदम उठाये जायेंगे और असामाजिक तत्वों, तस्करों, मुनाफाखोरों

[illegible] व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। शीघ्र ही वर्ष 1980-81 के आय व्ययक अनुमान माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे जिसमें भावी [illegible] एवं आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा। फिर भी मैं यहां [illegible] करना चाहूँगा कि राज्य सरकार प्रदेश के द्रुत विकास हेतु आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये कटिबद्ध है। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम जो मूलत: [illegible] विशेषत: भूमिहीनों, विद्यार्थियों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, किसानों, बेरोजगारों, [illegible], हाथकर्घा बुनकरों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व समाज के अन्य [illegible] वर्गों के लिये वरदान सिद्ध हुआ है, को पुन: क्रियाशील किया जायेगा। पाँचवीं योजना के [illegible] लागू किये गये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यथा – प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, सड़कें, पेयजल, विद्युतीकरण, भूमिहीन मजदूरों के लिये आवासीय व्यवस्था, पर्यावरणीय सुधार एवं [illegible] को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

4. स्वर्गीय नेता श्री संजय गांधी द्वारा दिया गया पाँच सूत्री कार्यक्रम परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, अशिक्षा निवारण एवं दहेज विरोधी अभियान आम समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। अत: सरकार ने इस कार्यक्रम को उनकी स्मृति में मूर्तरूप देने का निश्चय किया है।

5. आज हम बड़ी गंभीर परिस्थितियों में मिल रहे हैं। राज्य की अधिकांश जनता अकाल एवं सूखे से कई महीनों से जूझ रही है। गत वर्ष राज्य के अधिकांश भाग में मानसून की वर्षा, उचित समय एवं अपेक्षित मात्रा में न आने के कारण, 26 जिलों की 188 तहसीलों में अभाव की स्थिति घोषित की गई। 31,095 गाँव अभाव की स्थिति से प्रभावित हुए। सूखे की इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिये राज्य में लगभग 18,750 राहत कार्य विभिन्न पंचायतों एवं विभागीय अभिकरणों के माध्यम से चलाये जा रहे हैं, जिन पर 9.31 लाख श्रमिक काम पर लगाये गये। यह अनुभव होने पर कि पूर्व में पर्याप्त संख्या में राहत कार्य नहीं खोले गये थे तो आवश्यकतानुसार और राहत कार्य खोले गये। इन कार्यों पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान शीघ्रता से किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। [illegible] प्रधानमंत्री जी ने मार्च, 1980 में अभावग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के समय सुझाव दिया था कि सहायता कार्य में लगे हुये मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की जाये। तदनुसार मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है।

6. पीने के पानी सम्बन्धी समस्या भी काफी गम्भीर रही। अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है तथा ट्रक-टैंकरों, रेल-टैंकरों, सिंचाई व्यवस्था द्वारा, नये कुओं को खोदकर एवं पुराने कुओं को गहरा कर पीने का पानी उपलब्ध कराने का अथक प्रयास किया जा रहा है।

7. राज्य के 4 जिलों के कुछ भागों में पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से [illegible] की सहायता भी ली गई है, जिसके लिये उनको धन्यवाद है।

8. पशुओं के लिये समुचित मात्रा में चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारे की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है व चारा उपलब्ध कराने तथा पशुओं के पोषण के लिये पशु शिविरों की स्थापना की गई है। चारा उगाने के लिये विशेष प्रोत्साहन भी दिया गया है।

9. भारत सरकार से प्राप्त 5 हजार मैट्रिक टन गेहूँ व 900 मै. टन चावल का उपयोग राज्य में पोषाहार सुविधायें देने के लिये किया गया है, ताकि कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं और असहाय एवं अपंग व्यक्तियों को पोषाहार उपलब्ध कराया जा सके।

10. राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न राहत कार्यों के लिये केन्द्र सरकार से इस वर्ष 15.32 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था एवं अग्रिम योजना सहायता के रूप में प्राप्त हुई है। यह व्यवस्था राज्य के पास प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित राहत पहुँचाने हेतु उपलब्ध राशि 7.74 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

11. अभावग्रस्त क्षेत्रों में जनता को रहात पहुँचाने के उद्देश्य से प्रभावित गाँवों के काश्तकारों के विरुद्ध सम्बन्धित अधिनियम में निर्दिष्ट दीवानी दावों और डिक्रियों की क्रियान्विति तथा रहन सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बारानी भूमि-धारकों से सम्वत् 2036 की भू-राजस्व की वसूली भी 30.9.80 तक स्थगित कर दी गई है। सहकारिता विभाग के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया है।

12. इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार ने यह आदेश भी दिये हैं कि काश्तकारों की ऋण अदायगी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सहकारिता ऋण वसूली में जोर जबरदस्ती नहीं की जाय।

13. 'काम के बदले अनाज' योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 1.81 लाख मैट्रिक टन सामान्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत, व 1.25 लाख मैट्रिक टन विशिष्ट काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत तथा इस वर्ष अभी तक 10 हजार मै. टन व एक लाख मैट्रिक टन अनाज क्रमशः सामान्य काम के बदले अनाज योजना व विशिष्ट काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जितनी और अनाज की जरूरत होगी, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।

14. अकाल की समस्या अत्यन्त गम्भीर है और वित्तीय साधन सीमित हैं, फिर भी सरकार पूरी सहायता का इन्तजाम करने में लगी हुई है। इस कठिन घड़ी में मैं आप सबसे अकाल का मुकाबला करने में सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। राज्य में मानूसन का आगमन हो चुका है और पूरी आशा है कि इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आगामी फसल के भी अच्छे होने की संभावना है।

15. सरकार के सामने आज एक और महत्त्वपूर्ण कार्य आम आदमी को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि कराना है। इस हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और

[illegible] गतिशील बनाया जायेगा। वर्तमान में 8,825 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं, [illegible] 1,760 शहरी क्षेत्रों में तथा 7,065 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। कुल दुकानों में 5,209 दुकानें [illegible] समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं। इन दुकानों की संख्या और अधिक बढ़ाने का पूरा [illegible] किया जायेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों [illegible] में लागू किया जा रहा है जिससे आवश्यक वस्तुएँ बाजार में उपलब्ध हो सकें। इस [illegible] के अन्तर्गत 1,359 प्रकरण बनाये गये, 131 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं [illegible] 70 हजार मूल्य की वस्तुएँ जब्त की गईं। इसके अतिरिक्त चोर बाजारी निवारण एवं [illegible] वस्तुओं की पूर्ति-संधारण अधिनियम, 1980 को भी राज्य में लागू किया जाकर [illegible] अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधीशों को निर्देश दिये गये हैं।

16. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ठीक करना तथा प्रत्येक नागरिक को [illegible] माल की सुरक्षा बाबत पूर्णत: आश्वस्त करना जनतांत्रिक सरकार का पहला कर्त्तव्य [illegible] वर्ग के लोगों विशेषत: अनुसूचित जाति व जनजाति में सुरक्षा की व्यवस्था हेतु [illegible] ढाँचे को गतिशील बनाने के लिये राज्य के प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर एक रेवेन्यू व [illegible] का मिला-जुला प्रकोष्ठ गठित किया गया है जो इन वर्गों के व्यक्तियों की शिकायतों का [illegible] शीघ्र निपटारा करने के साथ ही मौके पर जाकर इन वर्गों के लोगों में सुरक्षा की भावना [illegible] करेगा। राज्य स्तर पर भी महानिरीक्षक आरक्षी के मुख्यालय पर एक प्रकोष्ठ अपर [illegible] आरक्षी (सतर्कता) की देख-रेख में कार्यरत है। इन वर्गों में गम्भीर अपराधों से [illegible] व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता की भी एक योजना बनाई है, जिसके [illegible] प्रभावित व्यक्तियों को राहत हेतु इस वर्ष योजना अन्तर्गत 5 लाख रुपयों का प्रावधान [illegible] गया है। जिलाधीशों को इस हेतु धनराशि उपलब्ध की गई है, जिससे वे पीड़ित व्यक्तियों [illegible] शीघ्र सहायता पहुँचा सकें। आवश्यकतानुसार इस राशि को और बढ़ाया जायेगा।

17. अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं उनके हितों के प्रति भी सरकार पूर्णत: [illegible] है और साम्प्रदायिक सद्‌भाव बनाने एवं असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने हेतु [illegible] संकल्प है।

18. अपराधवृत्ति में कमी के लिये पुलिस विभाग को सुदृढ़ किया गया है। अपराध [illegible] आंकड़ों के संकलन एवं तत्काल उपलब्धि की दृष्टि से अभी हाल ही में एक कम्प्यूटर [illegible] स्थापना की गई है, जो आधुनिकीकरण की दिशा में एक नया आयाम है। सरकार, पुलिस [illegible] को जिन हालातों में कार्य करना पड़ता है, उनके सम्बन्ध में पूर्णतया सजग है और [illegible] अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने को प्रयत्नशील रहेगी। साथ-साथ उनसे यह भी अपेक्षा [illegible] जाती है कि वे आम आदमी के कष्टों के प्रति संवेदनशील रहते हुये अपने कर्त्तव्यों का तत्परता [illegible] निष्पक्षता से अनुपालन करें। सरकार का सदैव यह प्रयास रहेगा कि राज्य में सुरक्षा की दृष्टि [illegible] शान्ति एवं सद्‌भाव का वातावरण बना रहे।

19. नवगठित केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 का निर्माण किया जाना है। राजस्थान राज्य देश के अविकसित प्रदेशों में से एक है। इसका अधि भाग मरुस्थलीय है। इस क्षेत्र के विकास के लिये दूरगामी कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे, जिससे भविष्य में अकाल की विभीषिका कम हो सके एवं आर्थिक विकास की दर में भी वृद्धि हो। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि सीमित संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग कर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाय। राज्य सरकार भावी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी व अल्प रोजगार को यथा संभव कम करने, आर्थिक असमानताओं में कमी लाने व पूर्व में निर्मित साधनों की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने का लक्ष्य रखेगी। सामाजिक न्याय की दृष्टि से राज्य के बढ़ते हुये विकास का अधिक-से-अधिक लाभ कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त हो, इसे दृष्टि में रखते हुये सरकार काम करेगी। भूमिहीन, लघु एवं सीमान्त कृषकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान की दृष्टि से विशेष कार्यक्रम निर्धारित कर उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में 20-सूत्री कार्यक्रम के इस क्रियान्वयन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहेगा।

20. राज्य की 325 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना 1980-81 का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा किया गया है। राज्य के संसाधनों पर पुनर्विचार कर योजना के आकार में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जायेगा।

21. राज्य की योजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु गठित राज्य आयोजना मंडल के पुनर्गठन के आदेश पिछली सरकार ने किये थे किन्तु यह मंडल क्रियाशील नहीं हो पाया। राज्य की योजना प्रक्रिया को वांछित दिशा प्रदान करने के लिये सरकार राज्य आयोजना मंडल के ढांचे में आवश्यक परिवर्तन कर इसे शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील करेगी।

22. राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि एवं सम्बद्ध विकास योजनायें इसकी प्रगति का मूल आधार है। कृषि उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु आधारभूत सुविधायें, जिनमें सिंचाई एवं आदान (इनपुट्स) सम्मिलित हैं, का विकास किया गया है। वर्ष 1979-80 में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण सिंचित क्षेत्र में भी कमी हुई। फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वर्ष 1979-80 में भारी कमी हुई है। वर्ष 1980-81 में 84 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न, 6.20 लाख मैट्रिक टन तिलहन, 24 लाख मैट्रिक टन गन्ना एवं 5.90 लाख कपास की गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

23. कृषि उत्पादन में वांछित वृद्धि समुचित आदान (इनपुट्स) व्यवस्था पर निर्भर करती है। अतः इस वर्ष 1.72 लाख क्विंटल उन्नत बीज वितरित किया जायेगा जब कि गत वर्ष में 97 हजार क्विंटल बीज वितरित किया गया था। इसी प्रकार इस वर्ष 2.18 लाख टन रसायनिक खाद उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि गत वर्ष उपलब्धि 1.47 लाख टन थी।

24. विश्व बैंक समर्थित कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों में प्रशिक्षण एवं [illegible] प्रणाली द्वारा कृषि के उन्नत तरीकों का प्रसार किया जा रहा है। कृषि उत्पादन में इस कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण योगदान है। कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध किये जाने हेतु विश्व बैंक समर्थित बीज परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

25. गत वर्ष वर्षा अभाव एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये कन्टिन्जेन्सी प्लान बना लिया गया है जिससे हर स्थिति का मुकाबला किया जा सके और अधिक-से-अधिक क्षेत्र में [illegible] बो कर उत्पादन स्तर को बढ़ाने के प्रयास किये जा सकें।

26. राजस्थान नहर परियोजना प्रथम चरण फेज-2 के लिये सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना पर इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चरल डवलपमेंट से सहायता प्राप्त करने का समझौता किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ हो जायेगा। परियोजना की कुल लागत 92.94 करोड़ रुपये तथा परियोजना अवधि पाँच वर्ष की है। परियोजना अवधि में 2.46 लाख हैक्टेयर में सर्वे एवं डिजाइन कार्य, 60 हजार हैक्टेयर में भू-सर्वेक्षण, एवं 2.46 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की नालियों का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 540 कि.मी. सड़कों का निर्माण व सुधार कार्य तथा 80 डिग्गियाँ पेयजल सुविधा हेतु बनाई जायेंगी। वन क्षेत्र के अन्तर्गत 6 हजार 'रो' कि.मी. में नहर के किनारे तथा 3 हजार 'रो' कि.मी. सड़कों के किनारे पौधे लगाये जायेंगे। इसके साथ साथ 31 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाहों का विकास किये जाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

27. राजस्थान में कृषि से सम्बद्ध पशुपालन का भी विशेष महत्त्व है। विशेषकर पश्चिमी [illegible] पवण जिलों में दुग्ध उत्पादन एक मुख्य व्यवसाय है। वर्ष 1979-80 तक राज्य के 19 जिलों में डेयरी कार्यक्रम चालू किया जा चुका है। शेष 7 जिलों को ओपरेशन फ्लड द्वितीय व अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष शामिल कर लिया जायेगा। वर्ष 80-81 में जयपुर में [illegible] लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली डेयरी का कार्य पूरा हो जायेगा। इस डेयरी में कीटाणु रहित दुग्ध तैयार करने की भी व्यवस्था है। अलवर की डेयरी तैयार है। दौसा, कोटपूतली, ब्यावर व गंगापुर सिटी में लगाये जा रहे अवशीतन केन्द्र इस वर्ष कार्य करना आरम्भ कर देंगे। इसी वर्ष नदबई (भरतपुर) व अजमेर में संतुलित पशु आहार बनाने के कारखाने भी चालू हो जायेंगे। अजमेर में स्थित डेयरी की क्षमता बढ़ाकर एक लाख लीटर की जा रही है। भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर व हनुमानगढ़ में भी नयी डेयरियाँ लगाई जा रही हैं। नागौर, बाड़मेर, विजयनगर, फलौदी, फालना, सवाईमाधोपुर, डूँगरपुर व बांसवाड़ा में नये अवशीतन केन्द्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। सूरतगढ़, गंगानगर, नोहर, छत्तरगढ़ में अवशीतन केन्द्र स्थापित करने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

28. वर्तमान में लगभग एक लाख किसान परिवार डेयरी कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 1980-81 के अन्त तक इनकी संख्या 1,25,000 हो जायेगी। अब तक 2,000 से

अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां व दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं जिनकी संख्या वर्ष 1980-81 के अन्त तक 2,500 हो जायेगी।

29. स्विट्जरलैण्ड सरकार की सहायता से रामसर में दुधारु बकरियों के विकास हेतु एक फार्म खोले जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

30. राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है जो अपेक्षाकृत अविकसित है। प्रदेश के संतुलित विकास हेतु इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम यथा मरु विकास कार्यक्रम व डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा। इन कार्यक्रमों को सरकार और अधिक गतिशीलता से सम्पादित करेगी।

31. राज्य के सर्वांगीण ग्रामीण विकास हेतु राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विशेष रूप से ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। मुख्यतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का बेरोजगारी समाप्त करने में प्रमुख योगदान होगा। इस कार्यक्रम को अधिक गति दी जायेगी। इस योजना को 11 अतिरिक्त खण्डों में इस वर्ष लागू किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार का यह लक्ष्य रहेगा कि राज्य के सब ही क्षेत्रों एवं सभी कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास द्रुतगति से होता रहे। इस दृष्टि से योजना को नई दिशा प्रदान की जायेगी।

32. इस कृषि प्रधान प्रदेश में लघु सीमान्त कृषकों व खेतिहर मजदूरों की स्थिति को सुधारने हेतु विनियोजन पर अनुदान व्यवस्था आवश्यक है। राज्य के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत एस.एफ.डी.ए. टाइप सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिन्हें और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जायेगा।

33. पर्यावरण के संतुलन एवं आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों को विस्तारित एवं सघन किया जाना आवश्यक है। इसके लिये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वनारोपण कार्य करवाये जा रहे हैं। प्रधान मंत्रीजी द्वारा प्रतिपादित सूखा प्रबन्ध के लिये 12 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग विभिन्न कार्यक्रम हाथ में ले रहा है। राजस्थान नहर अधिक्षेत्र में वृक्षारोपण, चरागाह विकास एवं टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के किनारे वृक्षारोपण एवं गवाई पड़त भूमि में मिश्रत वृक्षारोपण कराया जा रहा है। वर्ष 1980-81 में 1.79 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

34. वन्य जीव सुरक्षा एवं दुर्लभ जीवों की संख्या बढ़ाने के लिये राज्य में 10 अभ्यारण्य स्थापित हैं, जिनमें सरिस्का एवं रणथम्भोर बाघ परियोजना सम्मिलित है। चम्बल में घड़ियाल प्रजनन एवं उनकी संख्या वृद्धि के लिये एक राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। जैसलमेर व बाड़मेर में विश्व का प्रथम राष्ट्रीय मरु उद्यान कायम किया जा रहा है। जयपुर शहर के समीप नाहरगढ़ क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं सफारी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

... प्रदेश की अविकसित अर्थव्यवस्था को गतिमान करने की दृष्टि से सहकारिता ... को सुदृढ़ करने व उसके गुणात्मक विकास के प्रयत्न किये जायेंगे। वर्ष 1978-79 ... 65 प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवार सहकारिता के अन्तर्गत लाये जा चुके थे, इस प्रतिशत को अधिक से-अधिक बढ़ाया जायेगा। श्रीगंगानगर सहकारी स्पीनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ ... 1980-81 के अंत तक उत्पादन आरम्भ कर देने की संभावना है व गंगानगर काटन सीड ... प्रोसेसिंग सहकारी समिति परियोजना वर्ष 1980 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना ... राज्य सरकार ने राज्य भण्डारण परियोजना प्रारम्भ की है जिसमें योरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से प्राप्त होती है। यह परियोजना ... 1984 तक चलेगी जिसमें 21.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चालू वर्ष में इस परियोजना के अन्तर्गत 926 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य है। राज्य सरकार सहकारिता को और अधिक ... सुदृढ़ बनाने के लिये कार्यवाही करेगी ताकि कृषि उत्पादन एवं सार्वजनिक वितरण ... में इसका प्रभावी योगदान हो। वर्तमान में राज्य को आवंटित लेवी की चीनी का वितरण राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ के माध्यम से ही कराया जा रहा है। संघ को इस कार्य के सुचारु संचालन में कुछ वित्तीय कठिनाइयाँ आ रही हैं, इस हेतु संघ को अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

36. राजस्थान जैसे राज्य में सिंचाई का विशेष महत्व है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाएँ जो पूर्व से चली आ रही हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने के साथ-ही-साथ लघु सिंचाई योजनाओं, जिनसे शीघ्र लाभ प्राप्त होता है, पर भी अधिकाधिक बल दिया जायेगा।

37. राजस्थान नहर व माही बजाज सागर योजनाओं पर कार्य चल रहा है। राजस्थान नहर का प्रथम चरण लगभग समाप्ति पर है व द्वितीय चरण को अगले 5-6 वर्षों में पूर्ण किये जाने का प्रयास होगा। माही बजाज सागर योजना छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण की जा सकेगी। अन्य वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर सरकार विशेष ध्यान देगी।

38. राज्य की मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये यू.एस.ए.आई.डी. सहायता प्राप्त की जायेगी। इस परियोजना की लागत लगभग 42 करोड़ रुपये होगी।

39. विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से वर्ष 1980-81 में लगभग 60 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध की जा सकेगी। इसमें 41 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता राजस्थान नहर द्वारा उपलब्ध होगी।

40. आप सब को विदित है कि राजस्थान आधारभूत सुविधाओं, विशेषकर विद्युत शक्ति की दृष्टि से अभी भी अविकसित है। गत कुछ महीनों में हमारे राज्य को गंभीर विद्युत संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन रबी की फसल को बचाने दृष्टि से कुल विद्युत उपलब्धि का अधिकांश भाग कृषि उपयोग के लिये उपलब्ध कराया गया। बिजली की उपलब्धि को बढ़ाने

के लिये कोटा ताप संयंत्र एवं माही जल विद्युत परियोजनाओं तथा पोंग व देहर की छठी इकाई पर कार्य प्रगति पर है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार इन योजनाओं पर विद्युत वर्ष 1982-83 व 1983-84 में प्रारम्भ होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप को 496 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान अणु शक्ति केन्द्र की इकाई से विद्युत उत्पादन माह नवम्बर/दिसम्बर,1980 में चालू होने की संभावना है। राज्य को लगभग 180 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। कोटा ताप विद्युत गृह के विस्तार प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है।

41. पिछले वर्ष में भयंकर अकाल की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में सिंचाई हेतु कृषि विद्युतीकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई। मार्च,80 तक राज्य में 13,842 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिससे राज्य में विद्युतिकृत गाँवों का प्रतिशत 41.56 हो गया। वर्ष 1980-81 में साधनों को दृष्टिगत रखते हुये अधिक-से-अधिक ग्राम एवं कृषि विद्युतीकरण का प्रयास किया जायेगा।

42. खनिज सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में एक प्रमुख स्थान है। परन्तु पूर्ण सर्वेक्षण एवं विदोहन के अभाव में इनका पूरा लाभ अभी तक नहीं उठाया जा सका है। यह सरकार खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण एवं उत्खनन के कार्यों को गति प्रदान करेगी। भीलवाड़ा जिले के अगूचा क्षेत्र में सीसा, जस्ता व चाँदी के अपार भण्डार मिले हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में अब तक पाये गये भण्डारों में सबसे बड़े हैं। राज्य सरकार ने इन धातुओं को निकालने के लिये भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर को माईनिंग लीज प्रदान की है। इस भण्डार के खनन् व परिष्करण के लिये परिद्रव्य संयंत्र भी लगाया जायेगा। पूर्ण योजना पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का विनियोजन होगा। बाड़मेर, जैसलमेर व नागौर जिलों में लिग्नाइट पाये जाने की प्रबल सम्भावनाओं को देखते हुये सर्वेक्षण के आदेश दिये गये हैं।

43. नवगठित राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ने खनन विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। जोधपुर में ग्रेनाइट चिराई व पालिश करने के संयंत्र जिसका आयात इटली से किया गया है, कार्यरत है। पहली बार निगम द्वारा अलवर जिले से स्लेट खनिज का निर्यात नीदरलैण्ड किया जायेगा। निगम द्वारा बाड़मेर जिले में बैन्टोनाइट के ग्राइन्डिंग एवं परिष्करण संयंत्र की योजना कार्यरत है एवं बांसवाड़ा जिले में ग्रेफाइट भण्डार के परिष्करण के संयंत्र लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं। निगम के माध्यम से बेराइट्स का विदोहन प्रारम्भ किया जा चुका है। झामरकोटड़ा निम्न श्रेणी के रॉक फास्फेट के भण्डार को उपयोगी बनाने हेतु एक परिष्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जिसकी प्रारम्भिक क्षमता 200 टन प्रतिदिन होगी। इस संयंत्र के इस वर्ष के अंत तक लग जाने की संभावना है।

44. डेरी (सिरोही) बहुधात्विक खनिज के विकास हेतु राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ उत्खनन की योजना है। अकवाली कॉपर भण्डार

... योजना भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के विचाराधीन है। ... कॉपर लिमिटेड ने बसन्तगढ़ कॉपर भण्डार के विदोहन हेतु खनन पट्टे के लिये आवेदन किया था जिस पर कार्यानुमति दी जा चुकी है।

15. अर्थव्यवस्था के चहुँमुखी विकास में औद्योगीकरण का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। ... साधनों पर आधारित एवं अन्य उद्योगों के स्थापना की विपुल सम्भावनाएँ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उद्यमियों को इसके लिये प्रोत्साहित किया जाये जिससे लघु, ... एवं वृहद् उद्योगों की स्थापना होकर अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। ... क्षेत्र के उद्योगों में विनियोजित पूंजी का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने के साथ ही निजी, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार औद्योगीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण ... सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने को भी कृत संकल्प है। हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों में राजस्थान का विशिष्ट स्थान है जिनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

16. एक प्रमुख ट्रक चैसिस बनाने की कम्पनी द्वारा राज्य में 12,500 वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन करने का प्रस्ताव है, जिसमें 85 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा और करीब 3,500 व्यक्तियों का सीधा एवं 35,000 व्यक्तियों को परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। एक कॉस्टिक सोडा उद्योग भी राज्य में स्थापित किया जा रहा है जिसमें 22 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजन होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 68 उद्यमियों को ... मिल लगाने हेतु परमिट स्वीकृत किये गये हैं। राज्य में 3 बड़े सीमेंट कारखानों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

17. वर्ष 1979-80 में 6,853 लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत हुई जिनके विरुद्ध वर्ष 1980-81 में 11,600 लघु इकाइयों के पंजीकरण का लक्ष्य है।

18. वर्ष 1980-81 में राजस्थान वित्त निगम द्वारा करीब 32 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत एवं 24 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है। वित्त निगम बन्द इकाइयों को पुनर्जीवित करने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए 61 बन्द इकाइयों को इस वर्ष चालू करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकार ने राजस्थान के औद्योगीकरण हेतु उद्यमियों को उपलब्ध होने वाली सहायता एवं सुविधाओं की अवधि को मार्च, 1984 तक बढ़ा दिया है।

19. निर्यातकों को जयपुर से ही सीधी निर्यात सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सांगानेर हवाई अड्डे पर एयर कार्गो काम्पलैक्स स्थापित किया गया है। इस वर्ष उसके विस्तार हेतु प्रयास किया जायेगा।

20. राज्य में उपलब्ध ऊन की बहुलता के कारण ऊनी गलीचा उद्योग के विस्तार की सम्भावनाओं को कार्यरूप देने हेतु राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम 35 और गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र लगाने जा रहा है।

51. वर्ष 1979-80 में 509 नवीन करघे हाथकर्घा मण्डल द्वारा स्थापित किये गये मण्डल चालू वर्ष में 19 बिक्री केन्द्रों को बढ़ा कर 43 केन्द्र कर रहा है। मण्डल की योजना अन्तर्गत राजस्थान में 49.50 लाख रुपये की लागत से एक प्रोसेसिंग हाउस खोलने की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने मण्डल को कपड़ा उत्पादन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

52. 1980-81 में खादी का उत्पादन 1,350 लाख रुपये से बढ़ाकर 1,650 लाख रुपये किया जायेगा जिसके फलस्वरूप खादी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.33 लाख रोजगार पा लोगों की संख्या बढ़कर 1.45 लाख हो जावेगी। ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष 11,000 अतिरिक्त इकाइयों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी। वर्ष 1979-80 में खादी बोर्ड से सहायता प्राप्त ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत 61,500 व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे थे। वर्ष 1980-81 में यह संख्या बढ़कर 78,000 हो जायेगी।

53. राज्य के औद्योगिक विकास में राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। निगम द्वारा अब तक 34 परियोजनाओं के लिये संयुक्त क्षेत्र अनुबंध किये जा चुके हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 150 करोड़ रुपये का विनियोजन होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है और वर्ष 1980-81 में 10 अन्य इकाइयों में उत्पादन शुरू होने की आशा है। शेष परियोजनाओं में अगले दो वर्षों में उत्पादन प्रारम्भ हो सकेगा। संयुक्त क्षेत्र में 10 सिन्थैटिक धागा परियोजनायें स्थापित करने का निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है। इन परियोजनाओं में करीब 80 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा तथा करीब 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सिन्थैटिक धागे की तीन अन्य परियोजनायें भी स्थापित की जा रही हैं। ऊनी उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से 9 ऊनी धागों मिलों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। इसमें से 4 परियोजनाओं में 1980-81 में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा और करीब 1,500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। निगम द्वारा अब तक 14.24 करोड़ रुपयों के सावधी ऋण 45 परियोजनाओं को स्वीकृत किये गये, जिसकी तुलना में वर्ष 1980-81 में ही 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है। उद्योगों के लिये आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना इस निगम के कार्य क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। दिनांक 31.3.80 तक निगम द्वारा 13,027 एकड़ भूमि अवाप्त की जा चुकी है। वर्ष 1979-80 के अंत तक 678 एकड़ क्षेत्र में 5,261 प्लाट आवंटित किये जा चुके थे। इस वर्ष निगम द्वारा 1,115 एकड़ क्षेत्र का विकास करने का लक्ष्य है जिसमें करीब 4.50 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा।

54. राज्य के पिछड़ेपन का एक कारण आधारभूत सुविधाओं में सड़कों की कमी भी है। आज भी प्रदेश के कई गाँव सड़कों से जुड़े हुये नहीं होने से वर्षा के मौसम में अन्य भागों से अलग-थलग पड़ जाते हैं। राज मार्गों और अन्य जिला सड़कों की हालत भी कई जगह अच्छी

रही है। अतः न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के विस्तार के साथ-साथ अन्य सड़कों के विकास की ओर ध्यान दिया जायेगा और इस दिशा में यथासम्भव प्रयास किये जायेंगे।

55. संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाओं में वांछित सुधार किया जायेगा।

56. राज्य में पर्यटन की विपुल संभावनायें हैं। इसके विकास हेतु सतत् कार्यवाही की जा रही है। राज्य में राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया। पर्यटकों को आवासीय व परिवहन की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये निगम द्वारा एक वृहद् योजना तैयार की जा रही है जिससे अधिक-से-अधिक भारतीय एवं विदेशी पर्यटक राजस्थान की ओर आकर्षित हो सकें। इस दिशा में पर्यटक स्थलों का भी ओर अधिक विकास किया जायेगा।

57. राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए यह वचनबद्ध है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। आगामी वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का और अधिक विस्तार किया जायेगा। जो बालक नियमित विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, उन्हें भी शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बालकों को अधिक संख्या में स्कूल में लाने तथा उन्हें प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु निःशुल्क पुस्तकें तथा निःशुल्क ड्रैस की व्यवस्था की जायेगी।

58. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रयत्न तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं को अधिकाधिक हाथ में लेने का प्रयास करेगी।

59. मेरा विश्वास है कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है। इनकी शक्ति को अधिकाधिक सृजनात्मक दिशा प्रदान करने एवं इनमें अनुशासन तथा उपक्रम की प्रवृत्ति जागृत करने में शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सरकार इस असीमित शक्ति के भरपूर उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी। साथ ही विद्यार्थियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे उज्ज्वल भविष्य के लिये अपने जीवन के इस अमूल्य समय का अनुशासित एवं अध्ययनरत रहकर उपयोग करें।

60. राजस्थान अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए सदैव याद किया जाता है। संस्कृति, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में इसकी देन राष्ट्र की अमूल्य धरोहरों में से एक है। इन धरोहरों के समुचित परिरक्षण एवं सामयिक विकास के लिये राज्य सरकार इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के साथ ही इन्हें और सशक्त एवं गतिशील बनायेगी।

61. राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम योजनाबद्ध विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जायेगा। परिवार कल्याण के अन्तर्गत नई पद्धति लेपरोस्कोपी की बढ़ती मांग को देखकर राज्य सरकार 1980-81 में आठ विशेष लेपरोस्कोपी यूनिट पृथक से बनाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये इसके प्रति पूर्णरूप जागरूक है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वेच्छा के आधार पर किया जायेगा। यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज समर्थित 12 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को चालू वर्ष में स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के तीन जिले यथा सवाई माधोपुर, भरतपुर व कोटा में परिवार कल्याण का सघन कार्यक्रम चलाया जायेगा।

62. जयपुर में जनवरी, 1980 से जेकेलोन मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र प्रारम्भ किया गया है, जहां बाल रोग चिकित्सा का विशेष प्रावधान है।

63. राज्य सरकार द्वारा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के विकास की ओर भी पूरा ध्यान दिया जायेगा।

64. पर्यावरण सुधार योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिकृत कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों को सामुदायिक सुविधायें यथा – पेयजल, बिजली आदि उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों को गति दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्डों के विकास तथा आवास व्यवस्था क लिये भी सभी संभव प्रयास किये जायेंगे।

65. राजस्थान में पेयजल की गंभीर समस्या है। 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य के 33,305 आबाद गाँवों में से हमारे अनुमान के अनुसार 24,037 गाँव समस्याग्रस्त श्रेणी में आते हैं। कई वर्षों से भारत सरकार से इस संख्या पर विवाद चल रहा है। वह इसे लगभग 4,000 ही मानते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार से उच्च स्तर पर इस सम्बन्ध में वार्ता हुई है और हमें पूरी आशा है कि अब वह हमारे प्रान्त में समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या को 24,037 ही मान लेंगे। इसके फलस्वरूप 'त्वरित कार्यक्रम' की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य को और अधिक राशि प्राप्त हो सकेगी। वर्ष 1979-80 के अन्त तक 5,222 गाँवों में ही स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है, जिसमें से 4,646 गाँव समस्याग्रस्त थे। 1-4-80 को 2,904 गाँवों को स्वच्छ पानी दिलाने हेतु योजनाओं पर काम चल रहा था। शेष गाँवों को शीघ्रातिशीघ्र सुविधा दिये जाने के प्रयास उच्च प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे। आशा की जाती है कि इस वर्ष करीब 2,000 और ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

66. विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किये जाने वाले 138 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना का विश्व बैंक ने अनुमोदन अभी हाल ही में किया है। विश्व बैंक की सहायता जुलाई, 80 से ही प्राप्त होने लगेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 10 जिलों में 54 करोड़

रुपये की लागत से 2,000 गाँवों को लाभान्वित किया जायेगा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा की नगरीय योजनाओं में जल वितरण की सुविधा के विस्तार के लिये 69 करोड़ रुपये और जल मल निस्सारण की योजनाओं के लिये जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में 15 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। सम्पूर्ण परियोजना की कार्य अवधि 1980 से 85 तक की है। इस परियोजना के लिये राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल का गठन कर दिया गया है।

67. पेयजल समस्या पर और भी तत्परता से काबू पाने के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ही नलकूप खोदने के लिये इकाइयों का गठन किया गया है, जिसमें 16 रिग्स भूजल विभाग से प्राप्त की गई हैं, तथा 20 रिग्स भारत सरकार से प्राप्त की जा रही है। जहां मार्च 80 तक राज्य में लगभग 3,200 हैण्ड पम्प लगाये गये, वहां इस वर्ष में ही हमने 4,000 और हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य रखा है जिसके विरुद्ध 561 हैण्ड पम्प तो लगाये भी जा चुके हैं। इस विषय में प्रधानमंत्री जी के सूखा प्रबन्ध 12 सूत्री कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने को सरकार कृत-संकल्प है।

68. भारत सरकार से 'त्वरित कार्यक्रम' के अन्तर्गत ग्रामीण जल योजनाओं के लिये पेय जल के लिये पिछले साल के मुकाबले में अधिक राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से 2 करोड़ 5 लाख रुपये प्राप्त हुये थे, जिसके विरुद्ध चालू वर्ष में एक करोड़ रुपये तो अभी तक ही प्राप्त हो चुके हैं।

69. राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कुछ नगरपालिकाओं ने समुचित आवासीय व्यवस्था के लिये योजनाएँ तैयार की हैं जिन्हें नगर आयोजना विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगरीय विकास की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण योगदान होगा।

70. सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये नगर परिषद व नगरपालिकाएँ प्रयत्नशील हैं। इस हेतु न केवल उन्नत उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे बल्कि शुष्क शौचालयों को फ्लश लेट्रिन में परिवर्तित करने के लिये एक विशेष योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

71. राज्य के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हमारी वर्तमान इकाइयाँ अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन करें। इसके लिये श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने तथा औद्योगिक विवादों को आपसी वार्ता द्वारा हल करने में सरकार पूर्णतः सचेष्ट रहेगी। श्रमिकों के उचित संरक्षण की ओर भी ध्यान रखा जायेगा।

72. कृषि क्षेत्रों में विशेषतः अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रमिकों के लिए श्रम कानून के प्रभावी क्रियान्विति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार महिला एवं बाल श्रमिकों की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है। खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को हल करने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

73. 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वर्ष 1975 में श्रमिकों को उद्योग प्रबन्ध में भागीदार बनाने हेतु समितियां बनाने का कदम उठाया गया था। 1977 के बाद से समितियां पूर्णतः कार्यशील नहीं थी। अब केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शन क अनुसार औद्योगिक इकाइयों में संयुक्त प्रबन्ध समितियां बनाने तथा इन्हें पूर्णतया कार्यशील करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

74. श्रम अधिनियम एवं नियम में सरलीकरण एवं संशोधन इत्यादि पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जायेगा।

75. राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु पूर्णतया जागरूक है। इस दिशा में मार्च, 80 में अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इस निगम के माध्यम से इन जातियों के व्यक्तियों को संस्थागत वित्त प्राप्त करने में सहायता मिलेगी एवं इनका विकास द्रुतगति से हो सकेगा।

76. अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सामान्य विकास योजनाओं से पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो, इस दृष्टि से कम्पोनेन्ट प्लान बनाया जा रहा है। केन्द्र में स्थापित नई सरकार ने मार्च, 80 में अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कार्यक्रमों को और अधिक गति देने की दृष्टि से विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया है जिसके तहत राजस्थान को 23 लाख रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक राशि प्राप्त होने की संभावना है।

77. अभी तक बाल अधिनियम केवल पाँच जिलों में लागू है। वर्ष 1980-81 में इस अधिनियम के अन्तर्गत 2 और जिलों को लिये जाने का प्रस्ताव है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के कार्यक्रम को चालू रखा जायेगा। विमंदित बाल गृह हेतु जयपुर में एक विशाल भवन का निर्माण किया जा रहा है।

78. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु जन जाति उप योजना क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस उप क्षेत्र में राज्य की कुल जनजाति की 66 प्रतिशत जनसंख्या बसी हुई है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य योजना से धन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से गतिशील बनाया जायेगा। इस क्षेत्र की जनजातियों की भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए जिलाधीशों को विशेष स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जन जाति के सदस्यों को नि:शुल्क कानूनी सहायता, सिंचाई के कुओं के लिये ब्लास्टिंग का कुल व्यय अनुदान स्वरूप दिये जाने एवं क्राफ्ट प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण समाप्ति पर नि:शुल्क किट दिये जाने की योजनाएँ भी विचाराधीन हैं।

79. राज्य में अन्य क्षेत्रों में बिखरे हुए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ पहुँचाने हेतु 36 लघु खण्ड चिह्नित किये गये हैं। इन खण्डों के विकास हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।

80. किसान की खुशहाली एवं कृषि विकास की दृष्टि से भूमि सुधार की प्रक्रिया को त्वरित किया जाना है। भू-अभिलेखों को तेजी से आदिनांक किया जायेगा। साथ ही भूमि सुधार तथा सीलिंग कानूनों पर तेजी से अमल किया जायेगा। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गत कांग्रेस सरकार ने भूमिहीनों को भूमि आवंटित की थी। किन्तु यह ज्ञात हुआ है कि इनमें से कुछ आवंटियों की भूमि पर दूसरों ने जबरन कब्जा कर रखा है। इन मामलों में आवंटियों को उनको आवंटित भूमि पर पुनः कब्जा दिलाया जायेगा।

81. देश की सुरक्षा में राजस्थान के जवानों का शौर्य चिरस्मरणीय है। इनके परिवारों एवं तथा निवृत्त सैनिकों के कल्याण कार्यों के प्रति सरकार सचेष्ट रहेगी।

82. सरकार इस सत्र में राजस्थान कृषि उपज विपणी (संशोधन) विधेयक, 1980; राजस्थान विधान सभा (सदस्यों तथा अधिकारियों के परिलाभ तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1980; राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980 एवं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 आदि आपके समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेगी।

83. सरकार की मान्यता है कि राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन केवल कानूनी या सरकारी प्रयत्नों से नहीं मिटाया जा सकता। मैं राज्य की जनता एवं आप सबका आह्वान करता हूँ कि इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप सब आगे आयें और जनसाधारण के समक्ष अपने आपको उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करें। विभिन्न सामाजिक कुरीतियाँ विशेषकर बालविवाह, अनमेल विवाह, मृत्यु भोज व विवाह जैसे उत्सवों में फिजूलखर्ची, दिखावा एवं दहेज प्रथा को रोकने में अधिकाधिक सहयोग दें। इस सम्बन्ध में मैं सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थाओं से भी अपील करता हूँ कि वे आगे आयें और समाज की कुरीतियों को दूर करने में सहायक हों।

84. माननीय सदस्यगण, मैंने यहां सरकार की चालू वर्ष की कुछ प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का ही उल्लेख किया है जो हमारी आकांक्षाओं की प्रतीक मात्र हैं। कई मुद्दों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है और ना ही इनका उल्लेख करना उचित समझा है। क्योंकि यह सरकार स्वर्गीय नेता श्री संजय गांधी के नारे 'काम अधिक बातें कम' में विश्वास करती है। सरकार अपना स्वरूप लोगों के समक्ष बातों से नहीं वरन् अपने काम से प्रस्तुत करेगी।

85. विभिन्न कठिनाइयाँ होते हुए भी सरकार प्रदेश के विकास के लिए कृत-संकल्प है। हमारे सामने अनेक समस्याएँ हैं जिन्हें हम एकता, परिश्रम और निष्ठापूर्वक काम करके ही सुलझा सकते हैं। सरकार राज्य को कुशल, स्वच्छ एवं गतिशील प्रशासन प्रदान करते हुए राज्य के उज्ज्वल भविष्य की ओर निरन्तर अग्रसर रहेगी। मुझे विश्वास है कि आप सब जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और इस सदन की गरिमा एवं गौरवशाली परम्पराओं को बनाये रखेंगे।

जय हिन्द।

✪✪✪